भूमिका

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं विस्तृत अवधारणा है । यह कई उप–व्यवस्थाओं से बना है । इस व्यवस्था को पूरी तरह समझने के लिये, इसकी उप–व्यवस्थाओं को समझना जरूरी है । देश में राज्यों की राजधानियाँ राजनैतिक शक्ति केन्द्रों के रूप में विकसित हुई है। इसी कारण उनकी तरफ ध्यान आकर्षित हुआ है । इस तरह राज्य राजनीति का महत्वपूर्ण भाग बन गये हैं । राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा इस प्रकार का है कि अधिकांश राजनीतिक गतिविधियाँ राज्यों के द्वारा संचालित की जाती है । इस कारण राज्य की राजनीति का अध्ययन सर्वप्रिय होता जा रहा है । लेकिन राज्य की राजनीतिक क्षेत्र में पर्याप्त शोध कार्य नहीं हुआ है, विशेषकर विधायी क्षेत्र के विषय में ।

संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमण्डल की व्यवस्था की गई है । संविधान के अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमण्डल होगा जो राज्यपाल और कुछ राज्यों में दो सदन से तथा कुछ में एक सदन से मिलकर बनेगा ।[1] जिन राज्यों में दो सदन होंगे, उनके नाम क्रमशः विधानसभा और विधान परिषद होगें । प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा व्यस्क रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक सदन होता है । राज्य के इस प्रथम सदन को विधानमण्डल कहते हैं । जिन राज्यों में विधानमण्डल का दूसरा सदन है उसे विधान परिषद कहते हैं । राज्यों का विधानमण्डल एक सदनात्मक हो या द्विसदनात्मक इस बात के निर्णय का अधिकार राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों और भारतीय संसद को है । संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद को अधिकार प्राप्त है कि राज्यों में विधानपरिषद की स्थापना अथवा उनका अन्त कर दें यदि सम्बन्धित राज्य की विधानसभा अपने कुल बहुमत व उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करें । वर्तमान समय में भारत के केवल पांच राज्यों में (उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू–कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक) द्विसदनात्मक व्यवस्थापित व शेष राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्था है ।[2]

विधानसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 500 एवं कम से कम 60 हो सकती है, लेकिन सिक्किम, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश और गोआ इस 'प्रसंग' में अपवाद हैं । इन राज्यों की विधानसभाओं की सदस्यता संख्या 60 से कम है । हरियाणा विधानसभा के सदस्य 90 हैं ।

1. Constitution of India Article 168.
2. Constitution of India Article 169.

राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 200 है ।

भारत में सन् 1887 के बाद किसी न किसी रूप में विधानसभा का अस्तित्व था, भले ही उस समय इनको विभिन्न नामों से जाना जाता हो । उस समय भारत में अंग्रेज राज्य कर रहे थे और एक बहुत लम्बे समय तक भारत का बजट House of Commons द्वारा पारित किया जाता था, कॉमन्स को भी यह अधिकार बड़ी कठिनाईयों का सामना करने के बाद प्राप्त हुआ था । उन्हें स्वेच्छाचारी शासकों से संघर्ष करना पड़ा, जो इतनी आसानी से, उन्हें आपनी शक्ति सौंपना नहीं चाहते थे । धीरे–धीरे इंग्लैण्ड में सम्राट का एकतंत्र धूमिल होता गया, क्योंकि सीधे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के रूप में कॉमन्स ने उतने ही उत्साह के साथ संघर्ष किया और अंततः पार्लियामेंट एक्ट 1911 पारित कर यह तथ्य स्थापित करने में सफल हुए कि पूर्ति की स्वीकृति देने तथा अर्थोपियों की व्यवस्था करने में कॉमन्स ही पूर्णतः सक्षम है । इस प्रकार कॉमन्स को यह शक्ति प्राप्त हुई, किन्तु खेद का विषय तो यह है कि किस कॉमन्स ने इन अधिकारों के लिए संघर्ष किया तथा उन्हें प्राप्त किया, उसी ने अपने भारतीय नागरिकों को ये अधिकार देने का लगातार प्रतिरोध किया ।[3]

राज्य विधानसभा का अध्ययन इसलिए अधिक आवश्यक हो जाता है कि इसमें बिना हम भारतीय लोकतन्त्र व्यवस्था को नहीं समझ सकते । अगर हमें भारतीय राजनैतिक व्यवस्था का अध्ययन करना है तो हमें इन तन्त्रों का भी खुलकर अध्ययन करना होगा । जिनमें विधानसभा एक मुख्य तन्त्र है । परन्तु अभी तक इस क्षेत्र में सन्तोषजनक शोध नहीं हुआ है । इस क्षेत्र में कई विद्वानों ने कार्य किया है । जिन्होंने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध करने का कठिन प्रयास किया और इस क्षेत्र पर गहरा प्रकाश डाला । उनके विचारों से पता चलता है कि भारतीय राजनैतिक व्यवस्था को समझने के लिए राजव्यवस्था को भी समझना उतना ही जरूरी है । भारतीय राजव्यवस्था पर इस सूचना से उपलब्ध साहित्य का पुनःनिरीक्षण किया । जिससे हमें शोध क्षेत्र एवं अध्ययन के क्षेत्र में जो अन्तराल था उसकी तरफ सतर्क किया और इस अन्तराल को खत्म करने का प्राथमिक स्तर भी बताया व इसके महत्व को भी बताया ।

– ज्यादातर भारतीय राज्य क्षेत्र एवं जनसंख्या की दृष्टि से बड़े हैं और ये सब व्यक्ति एक

---

3. Survey of Research in Political Science : Political Process. I.C.S.S.R., New Delhi: Allied Publishers, 1981, p. 93.

राष्ट्र के हैं ।

- हम भारतीय राजनैतिक को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम राज्य व्यवस्था का विस्तार से अध्ययन नहीं कर लें क्योंकि ये संविधान के बिन्दू हैं ।
- ज्यादातर विकास भारतीय राज्य सूची एवं प्रभावित योजनाओं से सम्बन्धित हैं ।
- आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ एवं विकसित करने के लिए सरकार का स्थायित्व और अर्जन करने पर निर्भर है । यह महसूस किया गया है कि पहले राज्य स्तर पर फिर राजनैतिक स्तर पर विकास जरूरी है । इस प्रकार राज्य के आर्थिक विकास के राज्य सरकार प्रभावित होती है ।
- राज्य सरकार धीरे–धीरे राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तित हो रही है । पुराने राजनीतिज्ञ धीरे–धीरे विलुप्त हो रहे हैं और नये राजनीतिज्ञ जिनके पास अनुभव एवं ज्ञान (राजनीति की चलाने का ज्ञान) है, आगे आ रहे हैं ।
- प्रत्येक भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अद्भुत परिदृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है ।

इस कारण विकास भी बहुत जरूरी है । राजनैतिक विकास एवं राजनैतिक सगंठन में हम भिन्नता प्रकट कर सकें ताकि ये अपना कार्य एकजुट होकर कर सकें । अन्ततः विभिन्न राज्यों की विभिन्न ऐतिहासिक अवधारणा हैं । कुछ भारतीय तो नियमावली के अनुसार कार्य करते हैं और कुछ सीधे अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाये और विकसित परम्परा व राजनैनिक क्षेत्र को मानते हैं । अगर हमें विशेषरूप से राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक व शिक्षा को सही रूप देना हो तो हम सब को एकजुट होकर कार्य करना होगा । इसलिए हमें इनको समझने के लिए राजनैतिक एवं राज्य के वातावरण के बारे में अच्छी प्रकार से समझना होगा ।

राज्य विधानसभा जो कि काफी बड़ा है, यह समाज का एक प्रतिबिम्ब है । समाज के अंगों का प्रतीक है । यह हमें महसूस कराते हैं, उत्सुकता पैदा कराते हैं एवं लोगों के समूह को स्वतन्त्रयुक्त और न्याय के प्रति जागरूक कराते हैं । राज्य विधानसभा लोगों के लिए कानून बनाती है एवं उन्हें प्रस्तावित करती है जो कि सबके लिए होते हैं । लेकिन यह सब विधायक तब पाते हैं जब लोग एकजुट होकर उनका विश्वास करें । राज्य विधानसभा राज्य का महत्वपूर्ण अंग है । यह राज्य की गतिविधि एवं उपलब्धियों के बारे में पूरी–पूरी जानकारी देती है । विधायकों का संसदीय प्रणाली को चलाने में महत्वपूर्ण योगदान है जो कि समाज के मूल्यों एवं

सिद्धान्तों के प्रति जिम्मेदार है । राजनैतिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से आर्थिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक तत्वों को परिभाषित करना है । इस सन्दर्भ में विधायकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समाज में सामाजिक बदलाव लाना एवं पूर्णता को प्राप्त करना । भारत जैसे देश मे जहाँ पर राजनैतिक प्रणाली तर्कसंगत, सिद्धान्तों पर आधारित है वहाँ सामान्य नियमों, सिद्धान्तों में आस्था रखते हैं । विधायक ही जनता के तथ्यों को समझते हैं । विधायक की स्थिति फैक्ट्री के रूप ऐसे निरीक्षक की तरह होती है जो माँगों के प्रति पूरी तरह से विरूद्ध होता है और सामाजिक प्रणाली की रचना करने में भी भिन्नता दिखाता है । अपने कार्यो को पूरा करने में विधायक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है क्योंकि वह राजनैतिक प्रणाली की जरूरतों को पूरा करता है । विधायक का प्रजातान्त्रिक राजनैतिक प्रणाली में निसन्देह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है । कभी–कभी उसे दो मुद्दों को चालाकी के साथ हल करना पड़ता है । फिर भी स्पष्ट व अस्पष्ट रूप से उसे दोनों मुद्दों को निपटा कर दोनों मुद्दों के बीच मेल–मिलाप करवाना होता है । प्रश्न यह उठता है कि एक विधायक क्या होता है ? उसे क्या करना चाहिए ? कभी–कभी इस प्रश्न को सीमित कर दिया जाता है कि विधायक इसका उत्तर नहीं बतायेगा कि वह क्या करता है और कैसे करता है ? इस प्रकार एक विधायक संसदीय कार्यप्रणाली में अपनी भूमिका निभाता है । सबसे पहले एक विधायक विधानसभा में अपने महत्व को महसूस करता है क्योंकि वह राजनैतिक प्रणाली, साम्प्रदायिक कानून निर्माण प्रणाली में महत्वपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने का कार्य करता है । एक कानून बनाने वाले की तरह एक विधायक जनता की जरूरतों और निर्णयों को आदान–प्रदान करता है जो कि विधायकों की वैधानिक कार्य करते समय सहायता करता है । विधायक विचार–विमर्श के द्वारा प्रजातन्त्र में उस पूर्णता को प्राप्त करता है जो कि विधानसभा में महत्वपूर्ण कार्य होते हैं । सबसे ऊपर एक विधायक अपनी परिभाषण सम्बन्धी महत्ता के कारण राजनैतिक व्यवस्था को ओर भी महत्वपूर्ण बनाता है ।

इस शोध ग्रन्थ में राजस्थान विधानसभा पर शोध कार्य किया गया है । इस शोध ग्रन्थ का पूरा कार्य राजस्थान की 10वीं एवं 11वीं विधानसभा पर आधारित है क्योंकि राजस्थान की 10वीं विधानसभा में भाजपा को बहुमत प्राप्त हुआ एवं 11वीं विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को बहुमत प्राप्त है । इस कारण इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है ।

वर्तमान राजस्थान राज्य उन छोटी–बड़ी रियासतों का एक समूह है जो आजादी से पूर्व

राजस्थान में विद्यमान थी । इन रियासतों में सन् 1947 से पूर्व देश का स्वाधीनता संघर्ष कांग्रेस के नाम पर नहीं, देशीय राज्य लोकपरिषद के माध्यम से चलाया गया । देश की स्वाधीनता के साथ ही राज्यों में लोकप्रिय मंत्रीमण्डलों की स्थापना का क्रम आरम्भ हो गया । जयपुर, जोधपुर आदि रियासतों में लोकप्रिय मंत्रीमण्डल बनाए गए, उदयपुर, कोटा आदि में 'छोटा राजस्थान' के नाम से राज्य निर्माण हुआ और भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली मत्स्य राज्य के रूप में उभर कर आये और अन्ततोगत्वा 7 अप्रैल, 1949 को 'बृहत राजस्थान' का निर्माण हुआ । गत बीस वर्षो में देश में जो विकास कार्य हुए, उनके आधार पर देश के अनेक राज्य काफी आगे बढ़े । परन्तु दुर्भाग्य है कि राजस्थान आज भी पिछड़ा हुआ है । क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान कुछ ही राज्यों से छोटा है, परन्तु उनके कारणों से राजस्थान को विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता ।

राजस्थान में राजनीतिक चेतना और प्रजातान्त्रिक संस्थाएं भारत के दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा कम विकसित हो सकी । प्रथम आम चुनाव से पूर्व राजस्थान में प्रथम तीन सरकारें पण्डित हीरालाल शास्त्री द्वारा बनाई गई । अन्तरिम काल के लिए वेंकटाचार्य ने भी 1951 में कुछ महिनों के लिए सरकार गठित की तथा बाद में जयनारायण व्यास ने (1951–52) नेतृत्व सम्भाला । मार्च, 1952 में टीकाराम पालीवाल ने सरकार गठित की 1 नवम्बर, 1954 में व्यास ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया । उनका स्थान मोहनलाल सुखाड़िया ने ग्रहण किया । श्री सुखाड़िया ने राज्य की राजनीति को अपेक्षित स्थायित्व प्रदान किया और प्रजातान्त्रिक संस्थाओं के क्रमिक विकास के लिए परिस्थितियां पैदा की । राजस्थान की राजनीति में सुखाड़िया का उल्लेखनीय स्थान इसलिए है क्योंकि उन्होंने राज्य के सभी विरोधी गुटों में सन्तुलन की स्थापना की । 1969 में राष्ट्रपति के चुनावों के समय श्री सुखाड़िया का दृष्टिकोण अधिक इन्दिरा समर्थक नहीं रहा । अतः केन्द्रिय नेतृत्व में उनके प्रति अविश्वास पैदा हुआ और कांग्रेस की अन्तरिम गुटबन्दी ने सुखाड़िया को त्याग–पत्र देने के लिए बाध्य किया । पांचवे आम चुनाव से पूर्व राज्य का नेतृत्व बैरकतुल्ला खाँ को सौप दिया गया । उनके आकस्मिक निधन के बाद नेतृत्व हरिदेव जोशी के हाथ में आया । मार्च, 1977 में लोकसभा चुनावों में राजस्थान की 25 सीटों में से केवल एक सीट कांग्रेस को मिल सकी और जून, 1977 के विधानसभाई चुनावों में कांग्रेस राजस्थान में भी अपनी सत्ता खो बैठी और जनता पार्टी की सरकार भैरोसिंह शेखावत के नेतृत्व में गठित की गई ।

1992 में भाजपा को बहुमत मिला और 1997 में कांग्रेस सत्ता में आई और अब भी राजस्थान में कांग्रेस सरकार सत्ता में है । राजस्थान विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 1997 से 2002 तक का है । इसका वर्तमान लक्ष्य सभी समस्याओं को विचार–विमर्श के द्वारा समाप्त करना है । राजस्थान विधानसभा के सामने जो मुख्य मुद्दा है, वह सूखा एवं अकाल का है । वर्तमान समय में भाजपा एवं कांग्रेस की बराबरी की टक्कर है ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान विधानसभा संकट की घड़ी में है ।

साहित्य का पुर्ननिरीक्षण

भारतीय शोधकर्त्ता लम्बे समय से राज्य की राजनीति का अध्ययन करने का प्रयास करते आए हैं । राज्य की राजनीति का अध्ययन मुख्य रूप से जानकारी स्तर तक ही रहा है । शोधकर्त्ता राज्य राजनीति को राष्ट्रीय राजनीति के साथ भी जोड़ने का प्रयास करते हैं जो राष्ट्रीय नेता राज्य नेताओं पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं इन सबका अध्ययन करने का भी शोधकर्त्ता प्रयास करते हैं । मुख्य रूप से राज्य की राजनीति का अध्ययन एवं संस्थागत रूप में नहीं किया जाता और केवल कुछ ही ईमानदार शोधकर्त्ता हैं जो कि राज्य की राजनीति का अध्ययन करते हैं ।

राज्य–राजनीति का अध्ययन करने के लिए व्यवस्थित रूप से काफी सामग्री इकट्ठी की जा सकती है । स्वतन्त्रता से पहले संवैधानिक विकास का मूल्यांकन किया गया । जो यह अध्ययन है यह मुख्य रूप से कानूनी मुद्दों का अध्ययन था जो कि संघ सरकार के सम्बन्ध और उनके तुलनात्मक कार्यप्रणाली का अध्ययन था । स्वतन्त्रता के बाद भी यह मुद्दा पहले जैसा ही रहा । भारतीय संविधान पर काफी काम किया जा चुका है । राज्य की राजनीति पर भी काफी काम हो चुका है । राज्य विधानमण्डल पर भी काफी अध्ययन किया जा चुका है । जो ये अध्ययन किया गया है यह मुख्य रूप से विधानसभा से सम्बन्धित है ।

भारतीय विद्वान राजनीति के अध्ययन के प्रति उदासीन थे । इस उदासीनता का कारण राज्य की राजनीति की प्रशंसा देश में न होना था । विद्वानों का राष्ट्रीय राजनीति में रूचि होना इस बात को प्रदर्शित करता है कि राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय नेता राज्य नेताओं पर हावी थे। इसके परिणामस्वरूप राज्य राजनीति को संस्थागत समर्थन प्राप्त नहीं हुआ और केवल कुछ विद्वानों ने ही राज्य की राजनीति का अध्ययन किया है । यह अध्ययन भी कुछ क्षेत्रों तक सीमित

है । स्वतन्त्रता से पहले राज्यों की संवैधानिक विकास सम्बन्धीं संस्थाओं की ओर विद्वानों की रूचि थी । इन अध्ययनों में संस्थाओं के कानूनी पत्तों पर बल दिया जाता था । स्वतन्त्रता के बाद भी लगभग यही व्यवस्था ढ़ाचे की राज्य स्तर पर समीक्षा का पूरी तरह अध्ययन किया लेकिन राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उन्होंने राज्य के सरकार के साथ संघीय और कानूनी पत्तों का वर्णन किया ।[4]

जहाँ कहीं अध्ययन का केन्द्र संतुलित भारतीय राजनीति ढ़ांचे और संस्थाओं की प्रक्रिया पर किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक राज्य का ढांचा और संगठन केन्द्रीय सरकार का संक्षिप्त रूप है । सभी अध्ययनों से यह प्रकट होता है कि राज्य स्तर पर जो भी राजनीतिक गतिविधि होती है वह राष्ट्रीय स्तर की गतिविधि से भिन्न नहीं है । राज्य स्तर की गतिविधी वहां के वातावरण से प्रभावित होती है । इस विषय पर किसी ने विचार नहीं किया ।

इसके अतिरिक्त 1977 के लोकसभा चुनावों तक विचित्र घटना यह थी कि केन्द्रीय राजनीति राज्य की राजनीति पर प्रभावी रही जिससे संघीय स्वायतता का विकास नहीं हो पाया। एक दल का प्रभावी राष्ट्रीय नेतृत्व[5] न केवल राज्य नेतृत्व का निर्देश देता रहा बल्कि संगठन के माध्यम से उन के कार्यों में दखल भी करता रहा ।[5]

वर्ष 1962 में पंजाब विश्वविद्यालय ने एशिया में सरकार और राजनीति पर एक गोष्ठी आयोजित की इसमें राज्यों के विभिन्न राजनीतिक पक्षों पर विचार प्रस्तुत किये गये । वर्ष 1965 में राजस्थान विश्वविद्यालय के राजनीति विभाग ने जयपुर में एक गोष्ठी आयोजित की ।[6] इस गोष्ठी के कुछ पेपर इकबाल नारायण के 'भारत में राज्य राजनीति' मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ में प्रकाशित किये गये ।[6] इस गोष्ठी में राज्य में राजनीति विज्ञान में विद्यार्थियों को दी गई सुविधाओं की प्रशंसा की । इससे राजनीति विज्ञान की पढ़ाई और शोध को भी प्रोत्साहन मिला । राज्य की राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन करने का तर्क प्रस्तुत किया गया और राजनीति व समाज में प्रतिक्रिया की भूमिका पर भी बता दिया गया ।[8] इसी कारण जो भी अध्ययन राज्य

4. Ibid.
5. Jawaharlal Pandey. State Politics in India. New Delhi. Uppal. 1982. p. 10.
6. Hardwar Rai and Jawaharlal Pandey. Politics of Coalition havernment : The Experience of First United Final havernment of Bihar : Journal of Constitutional and Parliamentary Studies. Vol. VI. No. 2. A Part June 1976. p. 76.
7. Ibid. p. 78.
8. See 'Preface' in Myron Weiner. ed. State Politics in India. Delhi Princetan. 1968.

की सरकार और राजनीति पर किये गये उन पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण छाया रहा ।

Myran Weiner. State Politics in India. New Jersey Princatem-University Press ने सबसे पहले इस विषय पर बल दिया कि राज्य की राजनीति राज्य के दृष्टिकोण से होनी चाहिए न की राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इसके लिए दक्षिण एशिया अध्ययन समिति का गठन किया गया । इस विचार का विकास दो गोष्ठियों 1961 व 1964 में किया गया ।

वर्ष 1961 में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें लेखकों के प्रत्येक राज्य को राजनीतिक प्रक्रिया के विश्लेषण के लिये एक ढांचा दिया गया । इसके बाद उन्होंने राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण का जिसका राजनीति पर प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किया । पंजाब, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, मध्य प्रदेश व राजस्थान की सरकारों की उपलब्धियों की समीक्षा की ।

वर्ष 1967 के आम चुनाव के बाद राजनीति में परिवर्तन आया जिसने विद्वानों को राज्य की राजनीति पर ध्यान केन्द्रीत करने के लिए प्रेरित किया । इस अध्ययन में भी राज्य की राजनीति पर ध्यान केन्द्रीय करने पर बल दिया गया है ।

राज्यों की राजनीति पर किये गये अध्ययन सीमित महत्व के हैं । उनका आम निष्कर्ष बदलता जनता के परिदृश्य को प्रस्तुत करना है । विभिन्न सामाजिक दलों की बदलती हुई अवस्था का विश्लेषण नहीं किया गया है । चुनाव अध्ययन बदलती राजनीति व्यवस्था को प्रस्तुत नहीं कर सके ।

विधायिका और विधानसभा व्यवहार भारत में राजनीति विज्ञान शोध का लोकप्रिय विषय है । परन्तु हसमें तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य का अभाव है । यह केवल संसदीय संगठन और राज्यों में विधान सभाओं की कार्यप्रणाली की व्याख्या करता है । भारत में विद्यायिका के आम सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि इसमें बहुत कमियाँ हैं । इनको दूर किया जाना चाहिये ।

W.H. Marris Jones. Parliament in India. Langmomens. London. 1967 इस पुस्तक में भारतीय ससंद का परम्परागत ढंग से अध्ययन किया गया है । इसमें विधानसभा का सामाजिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया है । इस पुस्तक में विपक्ष व अध्यक्ष की भूमिका का काफी

---

9. H.P. Sinha's The Government of Bihar : A Study of Secretarial. New Delhi. S. Chand and Co., 1980.

अध्ययन किया गया है । लेकिन यह केवल संवैधानिक अध्ययन है इसमें बिलों, राज्यपाल के अभिभाषणों या बजट का अध्ययन नहीं किया गया । इसमें विधानसभा में विधायकों के व्यवहार या निर्णय लेने की प्रक्रिया पर प्रकाश नहीं डाला गया है ।

दयाधर झा की 'भारत में राज्य विधानसभाएं' अभिनय प्रकाशन, नई दिल्ली,1988 इस पुस्तक में सर्वेक्षण का शोध तरीका अपनाया गया है । इसमें विधायकों की मनोवृति, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं की समीक्षा की गई है । इसमें यह बताया गया है कि विधायक कैसे जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

Lawrance L. Shradeis. Third Legislative Assembly of Rajasthan. 1972. इस पुस्तक में विधायकों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनैतिक पृष्ठभूमि का वर्णन किया गया है। विधायकों का अपने चुनाव क्षेत्र से सम्पर्क व राजस्थान में शासन में गुटबाजी का भी वर्णन किया गया है ।

M. Ruthna Swami's Legislation : Principle and Practice. D.K. Publishing House. Delhi. 1974. स्वामी जी ने अपनी इस पुस्तिका में मद्रास विश्वविद्यालय के सदस्यों को दिशा–निर्देश सम्बन्धी कानूनों का वर्णन किया गया है इसमें कानून बनाने सम्बन्धी चर्चा भी की गई है ।

बी. दासगुप्ता और मौरिस जोन्स की – भारतीय राजनीति की प्रकृति व आदर्श अलाईड प्रकाशन, नई दिल्ली, 1976 । दासगुप्ता की इस पुस्तक में विधायिका व विधायकों के व्यवहार का वर्णन किया गया है । इसमें संसद व राज्य विधानसभा के विषय में भी वर्णन किया गया है। चुनावों में अपनी जीत को दर्शाने के लिए एक पार्टी दूसरी पार्टी पर क्या–क्या कीचड़ उछालती है इस प्रकार इस पुस्तक में राज्य विधायकों की हर प्रक्रिया का वर्णन किया गया है ।

Shashi Lata Puri's. Legislative Elite in an Indian States: : A A Case Study of Rajasthan. New Delhi. Abhinav. 1978. श्रीमति पुरी ने अपनी पुस्तक में राजनैतिक नेताओं के विशालरूप का समाजीकरण किया है । इसके साथ–साथ उन्होंने विद्यार्थियों के कार्य–प्रक्रिया को अभिजन वर्ग के माध्यम से समझाया गया है ।

S.R. Maheshwari's State Government in India. Delhi MacMillan. 1979. इस पुस्तक में श्रीमति महेश्वरी राज्यपाल, मन्त्रि परिषद, मन्त्री व सचिव के सगंठन का वर्णन किया है ।

उन्होंने राज्य की प्रशासनीय मशीन (ढ़ांचे) का भी अध्ययन किया है । विधायिका के साथ मुख्यमंत्री व राज्यपाल का सम्बन्ध क्या है ।

H.P. Sinha's The Government of Bihar & A Study of Secretariat. New Delhi. S. Chand and Co.. 1980.

आर.के. भारद्वाज ने अपने अध्ययन – ससंदीय प्रजातन्त्र और विधायिकाएं, नई दिल्ली, 1983 में हरियाणा के विधायकों के विषय में लिखा है । विधायकों के लिये हरियाणा सरकार के दिशा–निर्देश किस में यह बताया गया है कि विकास कार्यों में विधायकों की भागीदारी कैसे होनी चाहिये और जनता की शिकायतों को कैसे दूर करना चाहिये । इस अध्ययन में यह भी बताया गया है कि विधायकों को सरकार की नीति के विषय में जनता को जागरूक करना चाहिए और उसको लागू करने से जनता का सहयोग कैसे प्राप्त करना चाहिये ।

I.N. Tewanj's State Politics in India : A Study of Legislative System in Uttar Pradesh. Delhi Anmol Publication. 1985. इसमें उत्तर प्रदेश में राजनेताओं का प्रतिनिधित्व का अध्ययन किया गया है । इसमें विधायिका के निर्णयों में अभिजन वर्ग का क्या योगदान है का वर्णन किया गया है । किस प्रकार से हरिजन वर्ग का शोषण किया जाता है । समाज में सभी नेताओं का समाजीकरण किस प्रकार का है ।

शोध कार्य का महत्व

प्रजातन्त्र व्यवस्था में विधानमण्डल समाज के इर्द–गिर्द घूमते हैं । विधायक एक यन्त्र की भांति कार्य करते हैं । जो कि जनता की अच्छाई एवं बुराईयों को नापते हैं । इस कार्य के लिये विधायक एक भवन में मुख्य स्तम्भ की भान्ति अपना कार्य करते हैं । इनमें बिना कोई भी संस्था, कोई भी सवैधानिक क्रम ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता ।

कार्यकारिणी विधानसभा के द्वारा जनता एवं शासन करने वालों के मध्य जो दूरी थी वह लगभग खत्म हो गई है । यह सब विधानसभा के द्वारा हुआ है, क्योंकि इसमें सदस्यों को जनता चुनकर भेजती है । वे विधानसभा में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता की इच्छाओं की कभी भी अवहेलना नहीं करते । वे जनता के विचारों व भावनाओं का पूरा–पूरा ध्यान रखते हैं।

इन सबसे ज्यादा राज्य विधानसभा राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विषयों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है । विधायक ही इनसे सम्बन्धित नीतियाँ बनाते हैं व वही इनको

लागू करते हैं ।

विधानसभा एक ऐसा प्रशिक्षण स्थल है जो कि भविष्य के नेताओं को प्रशिक्षित करती है। वे इस प्रकार की सरकार को हटा देते हैं जो कि जनता का विश्वास खो चुकी होती है और वे दूसरे नेता को बहुमत उपलब्ध करवाते हैं व सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित करते हैं । इस प्रकार विधायक आरम्भ में एक जिम्मेदार सरकार पेश करते हैं और सेवा एवं पोषण की एक आशा लगाते हैं ।

विधानसभा, कार्यपालिका के असीमित अधिकारों के विरूद्ध छानबीन या निरीक्षण रखते हैं । विधानसभा एक विचारों का सग्रंह है जोकि कहीं और ऐसे विचार उठने सम्भव नहीं हैं । यह सरकार की नीतियों का समर्थन, विरोध, विशेषता एवं आलोचना करते रहते हैं । जिससे सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती और अपनी आलोचना के डर से वह जनता के हितों की अवहेलना करने से घबराती है । इसके अलावा विधानसभा विभिन्न सुखद सुझााव की प्रस्तुत करती है ।

विधायकों के माध्यम से ही सरकार को जनता के उल्लेखनीय कार्यों के बारे में पता चलता है । राज्य के पक्ष में उनके द्वारा की गई उपलब्धियों पर विचार प्रकट करते हैं एवं जनता की सतर्कता पर भी प्रकाश डालते हैं । इस प्रकार विधायक ही जनता एवं मीडिया को विषय प्रदान करते हैं ।

राज्य विधानमण्डल एक महत्वपूर्ण कारक है जो कि राष्ट्रीय योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं । क्योंकि यह एक ऐसी राज्य की संस्था है जो कि सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू करते हैं । इसके साथ–साथ इसके पास केन्द्र के विभिन्न मुद्दों पर विचार करने की भी शक्ति है ।

इन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि विधानसभा राजनीतिक उपकरण है व विधायक उस उपकरण की चाबी है, जिसमें विभिन्न माध्यम (चैनल) है । जिसमें की नये व विस्तृत भाग है जो जनता की राजनैतिक क्रिया में भाग लेने से सम्बन्धित है । उन्हीं के माध्यम से राज्य व जनता के निर्देशक एवं समर्थक सरकार को मिलते हैं । इस प्रकार राजस्थान कार्यकारिणी विधानसभा अन्तरिम कार्यों सम्बन्धित संश्लेषण करती है ।

शोध कार्य का उद्देश्य

विधानसभाओं का कार्य पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है यहाँ तक कि राजस्थान विधानसभा का भी नहीं । एक अशिक्षित नागरिक को भी इस क्रिया के बारे में स्पष्ट विचार मालूम है । इस बात को बढ़ा–चढ़ा कर नहीं कही जा सकती । एक शिक्षित नागरिक को भी ही इसके बारे में स्पष्ट विचारधारा का ज्ञान है । इस शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यही है कि विधायक किस प्रकार से अपने कार्यों एवं जिम्मेवारियों को नहीं समझते । शोध अध्ययन का उद्देश्य निम्न हैं ।

1. ससंदीय व्यवस्था को समझने के लिए राज्य की व्यवस्था एवं विधानसभा को जानना बहुत ही आवश्यक है । विधानसभा ही एक ऐसा स्थान है जहाँ से सरकार की कार्यवाहियों की रूपरेखा एवं कार्य करने के तरीकों का पता चलता है ।
2. इस अध्ययन के द्वारा हम विधायकों के जीवन सम्बन्धित सभी पहलूओं का अध्ययन करेगें। इस अध्ययन के अन्तगर्त विधायकों के सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक और राजनैतिक स्तर का पूरी तरह से अध्ययन किया जायेगा ।
3. विधानसभा की बैठकें कब होती हैं और उनमें कार्य करने के ढ़ंग किस प्रकार के हैं । विधानसभा के दिन–प्रतिदिन की कार्यप्रणाली और सिद्धान्तों एवं आचरण का अध्ययन किया जायेगा ।
4. इस शोध ग्रन्थ में यह भी अध्ययन किया जायेगा कि विधानसभा में प्रश्न किस प्रकार उठाये जाते हैं व उनका जवाब सम्बन्धित मन्त्रियों द्वारा किस प्रकार दिया जाता है । आधे घण्टे की चर्चा व शून्यकाल क्या है । इन परिपाटियों पर भी नज़र डाली जायेगी। विधायक किस प्रकार से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव व काम रोको प्रस्तावों और धन्यवाद प्रस्तावों के आधार पर किस प्रकार वाद–विवाद की प्रक्रिया अपनाते हैं ।
5. इसके अन्तर्गत इस बात का भी अध्ययन किया जायेगा कि विधानसभा में कानून किस प्रकार से पास किये जाते हैं । अध्यक्ष द्वारा किस प्रकार के बिलों को सदन में पेश करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है । एक बिल को कानून बनने के लिए किन–किन परिस्थितियों के माध्यम से गुजरना पड़ता है । संघ के द्वारा विभिन्न प्रशासनिक अवसरों पर उन पर समय–समय पर कानूनी प्रस्ताव प्रस्तावित होते रहते हैं ।
6. अगर हमें राजनेताओं के आचरण एवं व्यवहार को मानना है तो हमें विधानसभा के

सत्रकाल में जब सामान्य प्रस्ताव पास किया जाता है और किसी प्रस्ताव पर बहस होती है उस समय पूरा–पूरा अध्ययन किया जा सकता है । इस का ज्ञान जब और भी बढ़ जाता है जब विपक्ष विशेष रूप से सदन में होता है । इस समय वे एक–दूसरे पर किचड़ उछालते हैं व आलोचना करते रहते हैं ।

7. अध्यक्ष के कार्य, पद, शक्तियों का अध्ययन किया जायेगा जिससे मालूम होगा कि संकट की स्थिति में भी वह सदन में किस प्रकार से सयंम को बनाये रखता है । वह सत्ता पक्ष व विपक्ष के मध्य सामन्जस्य स्थापित रखता है । अध्यक्ष का ही कार्य है कि वह किस प्रकार से विधानसभा में चिन्ताओं को दूर रखना एवं लड़ाई–झगड़े अन्य किसी प्रकार के विवादों को रोकना होता है ।

8. राज्यपाल के पद, शक्तियाँ एवं अधिकारों के सम्बन्ध में अध्ययन किया जायेगा । राज्यपाल सदन में कब उपस्थित होता है । इस प्रकार का अध्ययन भी किया जायेगा ।

9. राज्य विधानसभा के आचरण को एवं जनता को जानने के लिए राज्य विधानसभा के कुछ नियम जानना बहुत जरूरी है और ये नियम राज्य विधानसभा के सत्रकाल में हम जान सकते हैं ।

10. राज्य विधानसभा का अध्ययन करने के बाद हम विपक्ष की इसमें क्या भूमिका है । क्या विपक्ष सदैव सरकार की आलोचना करता है या कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी प्रस्तुत करता है । इस प्रकार विपक्ष की पूरी जानकारी इस शोध ग्रन्थ में रखी जायेगी ।

11. विधानसभा वर्तमान समय में राज्यों के लिए कहाँ तक उपयोगी है । यह राज्य के नागरिकों का विकास किस हद तक करती है । यह समाज में फैली बुराईयों के विरूद्ध एवं और अन्य कानून या संशोधनों को किस हद तक पास करती है । यह अध्ययन किया जायेगा कि राज्य विधानसभा सामाजिक उपकरण के रूप में कहाँ तक सिद्ध होती है ।

शोध–पद्धति

इस शोध–ग्रन्थ में मुख्य सामग्री उपलब्ध प्रकाशित शोध ग्रन्थों, पुस्तकों, लेखों और टिप्पणियों, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं से प्राप्त की गई है । इसके साथ–साथ विधानसभा में हुए वाद–विवाद एवं राजनेताओं के विचार भी इस शोध ग्रन्थ के अध्ययन में काफी सामग्री प्रकट हुई है । इस प्रकार उपलब्ध सामग्री एवं तथ्यों को समायोजित कर विश्लेषणात्मक पद्धति के द्वारा

निश्कर्ष निकाले गये हैं । इसके द्वारा ही वर्तमान राज्य व्यवस्था व उसकी उपयोगिता को जांचा गया है । इस शोध ग्रन्थ में राजस्थान विधानसभा का 1993–2002 तक का अध्ययन किया गया है । शोध ग्रन्थ का मुख्यतः प्राथमिक स्रोत, रिकार्ड, क्षेत्र कार्य पर आधारित है । विधानसभा में हुए वाद–विवाद से भी काफी सामग्री उपलब्ध हुई है । जो कि इस शोध ग्रन्थ के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है ।

शोध ग्रन्थ में जानकारी व तथ्यों का माध्यम प्राथमिक स्रोत्र ही है लेकिन इसमें साथ–साथ द्वितीय स्रोतों की भी सहायता की गई है । सघन सर्वेक्षण एवं कार्यालय के रिकार्डों से काफी जानकारी प्राप्त हुई है । अनियन्त्रित अवलोकन पद्धति के माध्यम से अध्ययन किया गया है ।

इसके साथ–साथ राजस्थान के सत्रकालीन प्रकाशन में Who's Who Rajasthan Assembly एवं दूसरे राजस्थान राजस्थान सचिवालय के कार्यालय से प्रकाशित रिपोर्ट, आंकड़े एवं जानकारी इत्यादि की सामग्री के रूप में उपलब्ध किया गया है । इस शोध ग्रन्थ में तथ्य सर्वेक्षण पद्धति को अपनाया गया है ।

इसमें साथ ही विधायकों, विपक्ष के नेता, अध्यक्ष, विधानसभा का सचिव सभी आपस में विचार विमर्श करते हैं जिससे कि कुछ महत्वपूर्ण और मजेदार तथ्य सामने आते हैं । उपरोक्त सभी सामग्री विधानसभा की अन्तरिम कार्य प्रणाली से सम्बन्धित है ।

प्रस्तावित संशोधित अध्याय सूचि :

सुविधा की दृष्टि से शोध ग्रन्थ के अध्ययन को आठ अध्यायों में बांटा गया है ।

प्रथम अध्याय

राजस्थान में प्रतिनिधित्व का संस्थागत विकास : इस अध्याय में राजस्थान के इतिहास में राजनैतिक जागृति का विकास किस प्रकार हुआ व राजस्थान के लोग राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व किस प्रकार से करने लगे ।

द्वितीय अध्याय

राजस्थान विधानसभा का सगंठन, विकास और सदस्यता (1993–2002) ।

इस अध्याय में राजस्थान विधानसभा में विधायकों के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर का अध्ययन किया गया है ।

तृतीय अध्याय

अध्यक्ष का पद, शक्तियाँ कार्यप्रणाली :

चतुर्थ अध्याय

इसमें विधानसभा की समितियों का कार्य करने का ढ़ंग व सगंठन का वर्णन किया गया है ।

पंचम अध्याय

विधानसभा में कानून बनाने की प्रक्रिया

इस अध्याय में विधानसभा में बिल कैसे पास किये जाते हैं । कानून बनाने के लिए एक बिल को किस–किस स्थिति से गुजरना पड़ता है । इसके साथ–साथ प्रश्नकाल व आधे घण्टे की चर्चा का भी वर्णन किया गया है ।

षष्टम अध्याय

राज्यपाल का पद, शक्तियाँ व विशेषाधिकार ।

सप्तम अध्याय

विधानसभा में विपक्ष की भूमिका ।

अष्टम अध्याय

विधानसभा सामाजिक उपकरण के रूप में ।

इस अध्याय में विधानसभा ने समाज के विकास के लिए कौन–कौन से कानून पास किये व नागरिकों के उत्थान के लिए क्या–क्या कदम उठाये हैं उनका वर्णन किया गया है ।

निष्कर्ष

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि